

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

// आदेश //

भोपाल, दिनांक ०४ फरवरी, 2016

कमांक एफ ३-६/२०१५/१०-१: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नांकित वन क्षेत्रपालों को स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश तक कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य वन सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान रूपये १५६००-३९१००+५४०० ग्रेड पे में सहायक वन संरक्षक के पद पर प्रदोन्नत करते हुए उनके नाम के सम्मुख(कालमक.-४), दर्शाये पदस्थापना पर तत्काल प्रभाव से पदस्थ करता है :-

संक्र.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थिति	नवीन पदस्थापना
		3	4
१३	श्री रणवीर सिंह यादव	प०अ० निवास, प० मण्डला(सा०) व०मं०	अधीक्षक, करेरा अभयारण्य, माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी
१४	श्री शिव किशोर जौहरी	व०क्षे०, अनु०एवं विस्तार वृत भोपाल	संलग्न अधिकारी, श्योपुर(सा०) वनमण्डल
१२०	श्री अविनाश जोशी	प०अ० रहटी, सीहोर(सा०) व०मं०	अधीक्षक, सिंघौरी अभयारण्य, औबेदुल्लागंज(सा०) वनमण्डल
१२१	श्री हमीदुल्ला खान	प०अ० सीहोर, सीहोर(सा०) व०मं०	सहायक वन संरक्षक, मध्यप्रदेश राज्य बांस मिशन भोपाल (प्रतिनियुक्ति पर)
१२३	श्री संजय पाठक	व०क्षे० वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, भोपाल	अनुदेशक, वन विद्यालय, गोविन्दगढ़, रीवा
१२४	श्री संदेश महेश्वरी	व०क्षे० सतपुड़ा दूर्लिंगर रिजर्व पचमढ़ी	प्रभारी टाईगर स्ट्राईक फोर्स, इटारसी, होशंगाबाद(सा०) वनमण्डल
१२५	श्री संदीप कुमार गौतम	प०अ० परासिया प० छिन्दवाड़ा(सा०) व०मं०	संलग्न अधिकारी, इन्दौर(सा०) वनमण्डल
१२८	श्री संतोष कुमार शुक्ला	व०क्षे० नर्मदा घाटी विकास प्राधि० भोपाल (प्रतिनियुक्ति पर)	प्रतिनियुक्ति से सेवाये वापस लेते हुए सहायक वन संरक्षक, राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर (प्रतिनियुक्ति पर)

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

<u>129</u>	श्री राजेश शर्मा	प0अ0 आष्टा, सीहोर(सा0) व0म0	सहायक वन संरक्षक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, भोपाल
<u>130</u>	श्री राहुल मिश्रा	प0अ0 खनौथी, द0 शहडोल(सा0) व0म0	अनुदेशक, वन विद्यालय, अमरकंटक
<u>143</u>	श्री एच.एस. डाबर	डिपा अधि0 गैरतपुर, रायसेन (उत्पा.) व0म0	सहायक वन संरक्षक, मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम, भोपाल (प्रतिनियुक्ति पर)
<u>18</u>	श्री ओम नारायण मिश्रा	प0अ0 पानीगांव, देवास(सा0) व0म0	सहायक वन संरक्षक, मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ भोपाल (प्रतिनियुक्ति पर)

2/ मध्य प्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के अधीन सुविधा, सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियाँ, रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं।

3/ प्रमाणित किया जाता है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों का और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे उक्त अधिनियम की धारा-6 के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

4/ उक्त पदोन्नति सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ/सी-62/94/3/एक, दिनांक 30.जून, 1994 की कंपिडका 2(1) में उल्लेखित निर्देशों के अनुकम में किसी वरिष्ठ लोक सेवक का पदोन्नति की पात्रता होने व संवर्ग में पद रिक्त न होने की दशा में, उस संवर्ग के कनिष्ठतम पदोन्नत अधिकारी को पदावन्त किया जावेगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस.आई. अजीज) २१/६

अवर सचिव

मध्य-प्रदेश शासन, वन विभाग

पृ. क्रमांक एफ 3-6/2015/10-1

भोपाल, दिनांक ०८ फरवरी, 2016

प्रतिलिपि :-

- 1 महालेखाकार कार्यालय म0प्र0 ग्वालियर/भोपाल।
- 2 सचिव, म0प्र0 लोक सेवा आयोग, इन्दौर।
- 3 अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग, भोपाल।
- 4 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्य प्रदेश, भोपाल।
- 5 समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म.प्र., भोपाल।
- 6 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वन्यप्राणी) म.प्र., भोपाल।
- 7 प्रबंध संचालक, म.प्र. लघु वनोपज संघ भोपाल।
- 8 प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य वन विकास निगम, भोपाल।

113//

9. सदस्य अभियांत्रिकी, नर्मदा धाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल ।
10. संचालक, राष्ट्रीय वन विहार उद्यान, भोपाल ।
11. संबंधित मुख्य वन संरक्षक, ।
12. संबंधित वनमण्डलाधिकारी ✓
13. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (प्रशासन। एवं ।।) म.प्र., भोपाल ।
14. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी वन म.प्र. भोपाल ।
15. निज सचिव, प्रमुख सचिव म.प्र. शासन, वन विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
16. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क, म.प्र. मंत्रालय, भोपाल ।
17. संबंधित अधिकारी श्री द्वारा—अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (प्रशासन—।) म. प्र. भोपाल । पदोन्नत पद पर वेतन निर्धारण हेतु एक माह की समयावधि में आप अपना विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं
18. गार्ड फाइल ।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

G
JULY 16

अवर सचिव

मध्य-प्रदेश शासन, वन विभाग



मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

// आदेश //

भोपाल, दिनांक ५ जनवरी, 2016

क्रमांक एफ ३-३९/२०१५/१०-१: राज्य शासन एतद द्वारा श्री छाया.एस.परमार, वन क्षेत्रपाल को स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश तक कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य वन सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान रूपये १५६००-३९१००+५४०० ग्रेड पे में सहायक वन संरक्षक के पद पर पदोन्नत करते हुए अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से उप व.म.०३०.दक्षिण कुनो-पोहरी.पालपुर कूनो (वन्यप्राणी) वनमण्डल श्योपुर के पद पर पदस्थ करता है।

२/ मध्य प्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के अधीन सुविधा, सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियाँ, रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं।

३/ प्रमाणित किया जाता है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों का और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे उक्त अधिनियम की धारा-६ की उपधारा (१) के उपबंधो का पूर्ण संज्ञान है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(६१.११.१६)
(एस०आइ० अजीज)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग
भोपाल, दिनांक ५ जनवरी, 2016

पृ. क्रमांक एफ ३-३९/२०१५/१०-१

प्रतिलिपि :-

१. महालेखाकार मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
२. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्य प्रदेश, भोपाल।
३. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वन्यप्राणी) म.प्र., भोपाल।
४. मुख्य वन संरक्षक, उज्जैन/ग्वालियर(वन्यप्राणी), म.प्र।
५. वन संरक्षक, देवास/व.म.०३०.पालपुर कूनो(वन्यप्राणी) व.म. श्योपुर म.प्र।
६. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (प्रशासन। एवं ॥) म.प्र., भोपाल।
७. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी वन म.प्र., भोपाल।
८. निज सचिव, प्रमुख सचिव म.प्र., शासन, वन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
९. सयुक्त सचालक, जनसम्पर्क, म.प्र. मंत्रालय, भोपाल।
१०. संबंधित अधिकारी श्री छाया.एस.परमार वनक्षेत्रपाल द्वारा-अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (प्रशासन-१) म. प्र. भोपाल। पदोन्नत पद पर वेतन निर्धारण हेतु एक माह की समयावधि में आप अपना विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं।

गार्ड फाइल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अयोग्यित।

(६१.११.१६)
अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

//आदेश//

भोपाल, दिनांक १० मई, २०२१

क्रमांक एफ ३-३९/२०१५/१०-१: राज्य शासन एतद्वारा श्री वाय.एस. परमार, तत्कालीन वन क्षेत्रपाल (वर्तमान में सहायक वन संरक्षक) को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक ०४.०१.२०१६ द्वारा सहायक वन संरक्षक के पद पर पदोन्नति किया गया था।

उक्त आदेश के अनुक्रम में श्री वाय.एस. परमार, सहायक वन संरक्षक के संबंध में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक १५.०६.२०१२ की अनुशंसा संबंधी बन्द लिफाफा खोले जाने पर समिति की अनुशंसा अनुसार उन्हें सहायक वन संरक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु उपर्युक्त पाया। वनक्षेत्रपाल संघर्ष में उनसे कणिष्ठ वनक्षेत्रपाल श्री ए.पी. सिंह (वरीयता क्रमांक १३०) को सहायक वन संरक्षक के पद पर आदेश क्रमांक एफ ३-४८/२०१२/१०-१, दिनांक ०१.०४.२०१३ द्वारा दी गई पदोन्नति के दिनांक से “कार्य नहीं वेता नहीं” के सिद्धान्त के आधार पर सहायक वन संरक्षक के पद पर प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदान करते हुए सहायक वन संरक्षक संघर्ष में वरिष्ठता (दिनांक १.४.२०१३ की स्थिति में जारी पदक्रम सूची में) श्री ए.पी. सिंह के ऊपर क्रमांक ४२०-ए पर निर्धारित करता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(विजय पुणवटकर)

अद्यर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

भोपाल, दिनांक १० मई, २०२१

पृ. क्रमांक एफ ३-३९/२०१५/१०-१

प्रतिलिपि :-

- सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्डौर।
 - प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मध्य प्रदेश, भोपाल।
 - अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (प्रशासन। एवं १) म.प्र., भोपाल।
 - विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी वन म.प्र., भोपाल।
 - निज सचिव, प्रमुख सचिव म.प्र., शासन, वन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
 - संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क, म.प्र., मंत्रालय, भोपाल।
 - संबंधित अधिकारीद्वारा—अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (प्रशा.—) म.प्र. भोपाल।
 - गार्ड फाइल।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेपित।

अद्यर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग